

21-11-22

31/11/22

आज यह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलवायी गई। किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हाजरी एवं अदम पैरवी बखूबी साबित होती है। अतः यह न्याय प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की बाक़र जिला लेख भण्डार अलवर जमा करवाई जायें।

उपखण्ड अधिकारी
नमिराना (अलवर) राज.

